भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 968

28 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उच्च मूल्य वाले औषधीय पौधों की किस्मों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की मांग

968. श्रीमती संगीता यादवः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आयात को कम करने हेतु उच्च मूल्य वाली औषधीय पौध की किस्मों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की बढ़ती मांग का आकलन किया है;

(ख) क्या वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण उन औषधीय किस्मों की रोपण सामग्री को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनकी अत्यधिक मांग है और जिनका विदेशों से आयात किया जाता है;

(ग) उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़े औषधीय पौधों के क्षेत्र-विशिष्ट वानिकी क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) आगामी दशक के दौरान औषधीय खेती के विस्तार और आयात में कमी लाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क)**:** जी, हाँ। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) के माध्यम से राज्य वन विभागों, अनुसंधान संस्थानों, कृषकों, उद्योगों तथा अन्य हितधारकों के साथ संवाद स्थापित किया। इस दौरान उच्च मूल्य वाली औषधीय पादप प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) की बढ़ती मांग देखी गई। यह मांग हर्बल, आयुष, न्यूट्रास्यूटिकल तथा औषधि उद्योगों के विस्तार के कारण बढ़ी है। आरसीएफसी औषधीय पादपों की खेती के लिए उपयुक्त प्राथमिकता वाली प्रजातियों की पहचान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, एनएमपीबी ने औषधीय पादपों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योगों के साथ तथा औषधीय पादपों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री विकसित करने एवं आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सीएसआईआर के संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग): एनएमपीबी द्वारा देशभर में "औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन" विषयक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों, जैसे नर्सरी/गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन तथा औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्र एवं पश्च संबंध (एकीकृत घटक) के लिए परियोजना-आधारित सहायता करना है। आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित

विभिन्न राज्यों में औषधीय पादपों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु विभिन्न संगठनों की कुल 16 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। इसका विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

(घ): जी, नहीं। तथापि, एनएमपीबी के अंतर्गत कार्यशील आरसीएफसी कृषि-जलवायु उपयुक्तता, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता, बाजार की मांग तथा विद्यमान प्रसंस्करण अवसंरचना के आधार पर क्षेत्र-विशिष्ट औषधीय पादप समूहों (क्लस्टरों) के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
इस पहल के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

- प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादप प्रजातियों की समूह आधारित कृषि।
- नर्सरी अवसंरचना को सुदृढ़ करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्रसंस्करण इकाइयों तथा उद्योगों के साथ संपर्क एवं समन्वय स्थापित करना।
- मूल्य संवर्द्धन, कटाई-उपरांत प्रबंधन तथा बाजार संपर्क को प्रोत्साहित करना।
- राज्य वन विभागों तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को सुगम बनाना। इन पहलों से औषधीय पादपों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन तथा निर्यात क्षमता में वृद्धि होने की अपेक्षा है।

(ङ): जी, नहीं। एनएमपीबी औषधीय पादपों की खेती के विस्तार अथवा आयात में कमी लाने के लिए स्वतंत्र रूप से कोई राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। तथापि, बोर्ड निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देता है–

- गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन एवं वितरण को प्रोत्साहित करना, जिसमें आयातित कुछ औषधीय पादप प्रजातियाँ भी शामिल हैं।
- प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादप प्रजातियों की खेती के विस्तार को सुगम बनाना।
- नर्सरी नेटवर्क को सुदृढ़ करना तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।
- कृषकों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- औषधीय पादपों की सतत खेती, संरक्षण तथा मूल्य श्रृंखला के विकास को प्रोत्साहित करना।

संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु समर्थित राज्यवार परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	1	43.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	6.25
3.	जम्मू और कश्मीर	1	25.00
4.	कर्नाटक	2	75.00
5.	केरल	1	25.00
6.	मध्य प्रदेश	2	37.50
7.	महाराष्ट्र	1	220.75
8.	मिजोरम	1	50.00
9.	राजस्थान	2	50.00
10.	तमिलनाडु	1	25.00
11.	**उत्तर प्रदेश**	2	55.00
12.	उत्तराखंड	1	25.00
कुल		**16**	**638.25**